अनुदान संख्या 68 – पंचायती राज मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	825,17,00		825,23,00	686,18,15	-139,04,85
पूरक	Supplementary	6,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					137,85,08

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	72450.00	8009.97	7902.56	-107.41
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-64442.03			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8050.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-8051.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments				
पू.	S.	1.00	58463.63	58463.63	..
पु.	R.	58462.63			

(I) ₹78682.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹78681.00 लाख निम्निलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष "2515"–

(क) “पंचायती राज”–

(i) “डिजीटल इंडिया पहल ई–पंचायत” – ₹6600.00 लाख;

(ii) क्षमता निर्माण– पंचायत सशक्तिकरण अभियान– ₹43744.00 लाख;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान”– ₹13363.00 लाख; और

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान” – ₹6923.00 लाख;

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय रूप से

(I) Provision of ₹78682.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2018) remained wholly unutilized under six heads; of these ₹78681.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2515” -

(a) “Panchayati Raj”-

(i) “Digital India Initiative e-Panchayat” - ₹6600.00 lakhs;

(ii) Capacity Building - Panchayat Sashaktikaran Abhiyan - ₹43744.00 lakhs;

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Capacity Building- Panchayat Sashaktikaran Abhiyan” - ₹13363.00 lakhs; and

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Capacity Building- Panchayat Sashaktikaran Abhiyan” - ₹6923.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to transfer of funds to

प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" के पुनर्गठन के लिए निधियों का अंतरण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – पंचायती राज – पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमें" – ₹8051.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹383.30 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹64931.18 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) मुख्य शीर्ष "2515" – "पंचायती राज– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान" – ₹6468.55 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम" –

(का) "केन्द्रीय सहायता/शेयर– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान"– ₹40686.43 लाख।

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान"– ₹11494.00 लाख।

(गा) "जनजातिय क्षेत्र उप–योजना– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान"– ₹6282.20 लाख ।

restructured Centrally Sponsored Scheme "Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" approved by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(B) Major Head "2552" - "Other Rural Development Programmes - Panchayati Raj - Schemes for benefit of NEA" - ₹8051.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under one head saving of ₹383.30 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹64931.18 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in July, 2018 and December, 2018 under the following major heads:-

(I) Major Head "2515" - "Panchayati Raj - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - ₹6468.55 lakhs.

(II) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(A) "Central Assistance/Share - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - ₹40686.43 lakhs.

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - ₹11494.00 lakhs.

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan" - ₹6282.20 lakhs.